भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4026
मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

राज्य सहकारी संस्थान

+4026. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों, चीनी मिलों और डेयरी संयंत्रों जैसी राज्य की सहकारी संस्थाओं की उपेक्षा की है जिससे वे संकट की स्थिति में आ गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने इन सहकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए कोई विशेष योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (वेरका) की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है जबकि अमूल जैसे अन्य ब्रांडों ने राज्य में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है; और
(घ) क्या सरकार ने वेरका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाजार में इसकी हिस्सेदारी पुनः प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(**श्री अमित शाह**)

(क) से (ख): सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने और देश में प्राथमिक से शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को सशक्त और सघन करने के लिए कई पहलें की हैं । सहकारी बैंकों, सहकारी चीनी मिलों और सहकारी डेयरी क्षेत्र के लाभ के लिए उठाए गए कदम संलग्नक-I में दिए गए हैं ।

(ग): राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत और पंजाब में डेयरी सहकारी समितियों की दुग्ध प्रापण और बिक्री नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विगत वर्षों के दौरान बढ़ रही हैः

वर्ष	अखिल भारतीय		पंजाब	
	प्रापण (LKgPD)	बिक्री (LLPD)	प्रापण (LKgPD)	बिक्री (LLPD)
2020-21	519	361	19	10
2021-22	548	386	19	11
2022-23	547	422	19	12
2023-24	607	434	20	13
2024-25 (YTD फरवरी 2025) *	616	439	21	13
स्रोत दुग्ध संघ और परिसंघ * अनंतिम आंकड़े				

(घ): सरकार पंजाब में डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

1. **श्वेत क्रांति 2.0:** पंजाब में 2,378 नई डेयरी सहकारी समितियां(DCSs) स्थापित करने और 2,440 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियां(DCSs) को सशक्त करने का लक्ष्य श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत तय किया गया है। अब तक 87 डेयरी सहकारी समितियां (DCSs) पंजीकृत की जा चुकी हैं ।

2. **डेयरी कार्यकलापों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता-कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए ब्याज संसहायिकी**

   दिनांक 15 मार्च, 2025 तक 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि के लिए पंजाब राज्य में भाग लेने वाली एजेंसियों को 31.61 करोड़ रुपये की ब्याज संसहायिकी जारी की गई है ।

   उपरोक्त अवधि (15 मार्च, 2025 तक) के दौरान एसडीसी और एफपीओ योजना के तहत पंजाब राज्य में जारी संघ-वार ब्याज संसहायिकी का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है ।

3. **सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी (DTC)-राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) का घटक -ख)**

   पंजाब राज्य में, 371.18 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय (ऋण- 286.36 करोड़ रुपये, अनुदान - 54.52 करोड़ रुपये, सहभागी संस्थान (PI) का योगदान - 30.30 करोड़ रुपये) के साथ कुल 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । स्वीकृत घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है::

क्रम. सं.	सहभागी संस्थान	वित्तीय परिव्यय (लाख रु.)				परियोजना घटक
		ऋण	अनुदान	सहभागी संस्थान (PI) का योगदान	कुल	
1	रोपड़ मिल्क यूनियन	273.18	23.15	28.51	**324.84**	• दुग्ध खरीद अवसंरचना को सशक्त बनाना • दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को सशक्त बनाना (5 एलएलपीडी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र) • विपणन अवसंरचना के लिए सहायता • उत्पादकता में वृद्धि • प्रशिक्षण और क्षमता विकास
2	बाणी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी	13.18	31.37	1.79	**46.34**	• दुग्ध खरीद अवसंरचना को सशक्त बनाना • उत्पादकता में वृद्धि • प्रशिक्षण और क्षमता विकास
	कुल	**286.36**	**54.52**	**30.30**	**371.18**	

4. **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(NDDB) ने वेरका की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं:**

i. **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(NDDB) की उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के विपणन संचालन को सशक्त करने के लिए सहायता:** 'छोटे उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों को उनके विपणन कार्यों को सशक्त करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से, ताकि दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए उनके बाजार हिस्से को बढ़ाया जा सके और उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और सुरक्षित दूध प्रदान किया जा सके', एनडीडीबी ने 'उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के विपणन कार्यों को मजबूत करने के लिए सहयोग नामक एक योजना शुरू की है । इस योजना के तहत अमृतसर, पटियाला, गुरदासपुर और होशियारपुर दुग्ध संघों के लिए 330.32 लाख रुपये के कुल अनुदान के साथ चार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है ।

ii. **एनडीडीबी की होनहार उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं को पुनर्जीवित करना:** राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने फ़िरोज़पुर ज़िला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड को एनडीडीबी की "होनहार उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को पुनर्जीवित करने" योजना के तहत 246.21 लाख रुपये का बिना ब्याज का ऋण और 228.20 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की। इस योजना के तहत कुल परियोजना परिव्यय 607.15 लाख रुपये है । इस योजना में, कुल परिव्यय में से 168.53 लाख रुपये " "विपणन परिचालन सुदृढ़ीकरण " के घटक के लिए है ।

*****

संलग्नक-I

क. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण:-

I. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे ।

II. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है । इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे ।

III. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की कार्रवाई भी कर सकेंगे ।

IV. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धि:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को PSL लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दी गई समय-सीमा को दो वर्षों के लिए, अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है ।

V. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है ।

VI. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासन ऋण की** सीमा दोगुनी से अधिक की गई:

   क शहरी सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को अब 30 लाख रुपये से दोगुना कर 60 लाख रुपये कर दिया गया है ।

   ख ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है ।

VII. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आवासन सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी ।

VIII. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है । सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त होगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी ।

IX. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs),राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल- मुक्त ऋण मिल सकेगा ।

X. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं ।

XI. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

XII. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्त हो सकेगी।

<u>ख. सहकारी चीनी मिलों (CSMs) का सुदृढ़ीकरण:-</u>

(i) सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: भारत के कुछ राज्यों में सहकारी क्षेत्रों में प्रचालन चीनी कारखाने गन्ना उत्पादकों को अंतिम राशि का भुगतान करती हैं, जिसे अक्सर अंतिम गन्ना मूल्य (FCP) कहा जाता है जो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) से अधिक है । सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त अंतिम गन्ना मूल्य (FCP) के भुगतान के परिणामस्वरूप कर संबंधी मुकद्दमेबाजी हुई थी । सहकारी चीनी फैक्टरियां इस अधिक भुगतान को व्यावसायिक व्यय के रूप में दावा कर रही थीं जबकि मूल्यांकन में इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि गन्ने की खरीद के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) के अलावा भुगतान किया गया अधिक मूल्य लाभ के विनियोजन/वितरण स्वरूप का है और इसलिए कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है ।

इस मामले में निश्चितता प्रदान करने और चीनी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में संशोधन के लिए एक नया खंड (xvii) जोड़ा गया यह उपबंध करता है कि चीनी के निर्माण में संलग्न सहकारी समितियों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए दी गई राशि, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के बराबर या उससे कम हो, या राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय अधिनियम/आदेशों या अन्य कानूनी साधनों के माध्यम से निर्धारित मूल्य सहित, जिसमें राज्य परामर्शित मूल्य शामिल है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मूल्य/उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक हो सकता है, को चीनी सहकारी कारखानों की व्यवसायिक आय की गणना के लिए कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाएगा और यह प्रावधान दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी होगा।

(ii) सहकारी चीनी मिलों पर आयकर मांग से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान करना: उपरोक्त क्रम संख्या (i) के प्रावधान ने 01.04.2016 से सहकारी चीनी मिलों(CSMs) द्वारा चीनी मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान को किसानों को आय वितरण के रूप में मानने के मुद्दे को हल कर दिया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 से पहले के आकलन वर्षों (AYs) के संबंध में लंबित मांगें और मुकदमेबाजी अभी भी बनी हुई है। इसलिए, मामले को तार्किक रूप से समाप्त करने और सभी लागू वर्षों तक उपर्युक्त राहत का लाभ देने के लिए, अधिनियम की धारा 155 में संशोधन किया गया है ताकि वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से 01 अप्रैल 2023 से एक नई उप-धारा (19) को समाविष्ट किया जा सके। यह उपबंध करता है कि सहकारी चीनी मिल के मामले में, जहां निर्धारिती द्वारा गन्ने की खरीद के लिए किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और इस तरह की कटौती को 1 अप्रैल, 2014 से शुरू होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, कर निर्धारण अधिकारी, इस संबंध में ऐसे निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, ऐसे पिछले वर्ष के लिए ऐसे निर्धारिती की कुल आय की पुनर्गणना करें। निर्धारण अधिकारी उस सीमा तक ऐसी कटौती अनुज्ञात करेगा जिस तक ऐसा व्यय उस कीमत पर उपगत किया जाता है जो उस पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित कीमत के बराबर या उससे कम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दिनांक 27.07.2023 को इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया भी जारी की है।

(iii) सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना: सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC) को सहायता अनुदान' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम(NCDC) को 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने, इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना या कोजनरेशन संयंत्रों की स्थापना या कार्यशील पूंजी या सभी तीन उद्देश्यों के लिए करेगा। एनसीडीसी ने अब तक 48 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को 9893.12 करोड़ रुपये के 87 ऋण संस्वीकृत किए हैं।

योजना के अंतर्गत इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त करने वाले 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को आसानी के लिए, एनसीडीसी ने अपने वित्त पोषण पैटर्न को 70:30 से 90:10 तक संशोधित किया है, जिसमें समिति को परियोजना लागत का केवल 10% जुटाना है और परियोजना लागत का 90% परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के अधीन एनसीडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सहकारी चीनी मिलों के लाभ के लिए, एनसीडीसी ने इस योजना के तहत सावधि ऋण के लिए अपनी ब्याज की अस्थिर दर को घटाकर 8.50% कर दिया है।

(iv) सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल की खरीद में वरीयता: तेल विपणन कंपनियां (OMCs) इथेनॉल खरीद चक्रों में भाग लेने वाले सीएसएमएस को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। तेल विपणन कंपनियां (OMCs) द्वारा 11 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) से अब तक 25.50 करोड़ रुपये के 24,650 केएल इथेनॉल की खरीद की जा चुकी है।

(v) सहकारी चीनी मिलों के शीरा (Molasses) आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करके इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि करना: सहकारिता मंत्रालय ने चीनी सहकारी

मिलों (CSMs) के मौजूदा शीरा (Molasses) आधारित इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्रों में बदलने की पहल की है। चूंकि वे अपनी डिस्टिलरीज का संचालन पूरे वर्ष कर सकते हैं, इस पहल के तहत 'सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

(क) एनसीडीसी 90:10 के वित्तपोषण पैटर्न के तहत एक सावधि ऋण प्रदान करेगा, जिसमें 90% समिति से और 10% राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से होगा ।

(ख) दिनांक 6 मार्च, 2025 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संशोधित योजना को अधिसूचित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसका शीर्षक था *"Scheme for Financial Assistance to Cooperative Sugar Mills (CSMs) for Converting Their Existing Sugarcane-Based Feedstock Ethanol Plants into Multi-Feedstock-Based Plants to Utilize Grains Such as Maize and Damaged Food Grains (DFG) for Enhancing and Augmenting Ethanol Production Capacity",* जो विशेष रूप से सहकारी चीनी मिलों के लिए थी । इस योजना के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार उन लोगों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज संसहायिकी का वहन करेगी, जो या तो 6% प्रति वर्ष की दर पर होगी या उधार देने वाली संस्था द्वारा लगाए गए ब्याज दर का 50%, जो भी कम होगा, पांच वर्षों की अवधि के लिए, जिसमें एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है ।

(ग) ब्याज संसहायिकी का लाभ उठाने वाली सहकारी चीनी मिलों को तेल विपणन कंपनियां (OMCs) द्वारा प्राथमिकता -1 दी जाएगी ताकि सिंगल-फीड इथेनॉल संयंत्रों से मल्टी-फीड इथेनॉल संयंत्रों में उनके बदलने की सुविधा मिल सके ।

<u>ग. डेयरी सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण:-</u>

सरकार डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित कर रही है : -

- **क** डेयरी कार्यकलापों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO)की सहायता करना।
- **ख** पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF)
- **ग** राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
- **घ** राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
- **ङ** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH&DCP)

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी नेतृत्व वाली श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है जिसका उद्देश्य सहकारी कवरेज, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण का विस्तार करना है, जिसका उद्देश्य "अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दुग्ध प्रापण को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है।

श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP)का दिनांक 19.09.2024 को शुभारंभ किया गया था । निरपेक्ष रूप से, पांचवें वर्ष यानी 2028-29 के अंत तक, डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद प्रति दिन 1007 लाख किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। लक्ष्य को दो आयामी रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:

i. डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवरेज का विस्तार
ii. डेयरी सहकारी समितियों की पहुंच को सघन करना.

उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने अनाच्छादित पंचायतों/गांवों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों (DCSs) की स्थापना करने तथा 46,422 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों (DCSs) को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की है। इन डेयरी सहकारी समितियों (DCSs)को बाजार से जोड़ने के लिए या तो मौजूदा दूध मार्गों का विस्तार किया जाएगा या नए दूध मार्ग बनाए जाएंगे। एनडीडीबी श्वेत क्रांति 2.0 से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करेगा। अब तक 10,263 डेयरी सहकारी समितियां (DCSs) पंजीकृत की जा चुकी हैं।

*****

संलग्नक-II

पंजाब राज्य के लिए SDCऔर FPO योजना के तहत ब्याज संसहायिकी का विवरण (15 मार्च, 2025 तक)

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	संघ/परिसंघ/दुग्ध उत्पादक कंपनी	ब्याज संसहायिकी की कुल स्वीकृति			ब्याज संसहायिकी की कुल रिलीज		
		ब्याज संसहायिकी की स्वीकृति			ब्याज संसहायिकी जारी करना		
		नियमित (@2% प्रति वर्ष)	अतिरिक्त प्रति वर्ष 2% तक)	कुल	नियमित (@2% प्रति वर्ष)	अतिरिक्त प्रति वर्ष 2% तक)	कुल
2020-21	पंजाब मिल्क फेडरेशन (मिल्कफेड)	9.21	9.21	**18.42**	5.11	5.11	**10.23**
	कुल (2020-21)	**9.21**	**9.21**	**18.42**	**5.11**	**5.11**	**10.23**
2021-22	दोआबा मिल्क यूनियन	0.30	0.30	**0.60**	0.29	0.28	**0.57**
	लुधियाना मिल्क यूनियन	0.89	0.87	**1.76**	0.74	0.73	**1.48**
	पटियाला मिल्क यूनियन	0.48	0.47	**0.95**	0.43	0.42	**0.85**
	पंजाब मिल्क फेडरेशन (मिल्कफेड)	6.11	6.11	**12.22**	3.18	3.18	**6.36**
	रोपड़ मिल्क यूनियन	0.72	0.72	**1.44**	0.33	0.33	**0.65**
	कुल (2021-22)	**8.50**	**8.47**	**16.97**	**4.97**	**4.94**	**9.92**
2022-23	अमृतसर मिल्क यूनियन	0.53	0.53	**1.06**	0.37	0.37	**0.73**
	दोआबा मिल्क यूनियन	0.93	0.93	**1.86**	0.80	0.79	**1.59**
	होशियारपुर मिल्क यूनियन	0.21	0.21	**0.42**	0.05	0.00	**0.05**
	लुधियाना मिल्क यूनियन	1.12	1.12	**2.24**	1.05	1.05	**2.11**

वर्ष	संघ/परिसंघ/दुग्ध उत्पादक कंपनी	ब्याज संसहायिकी की कुल स्वीकृति			ब्याज संसहायिकी की कुल रिलीज		
		ब्याज संसहायिकी की स्वीकृति			ब्याज संसहायिकी जारी करना		
		नियमित (@2% प्रति वर्ष)	अतिरिक्त प्रति वर्ष 2% तक)	कुल	नियमित (@2% प्रति वर्ष)	अतिरिक्त प्रति वर्ष 2% तक)	कुल
	पटियाला मिल्क यूनियन	0.76	0.76	**1.52**	0.26	0.26	**0.53**
	रोपड़ मिल्क यूनियन	0.13	0.13	**0.26**	0.13	0.13	**0.26**
	संगरूर मिल्क यूनियन	0.43	0.43	**0.86**	0.24	0.23	**0.47**
	पंजाब मिल्क फेडरेशन (मिल्कफेड)	4.40	4.40	**8.80**	2.41	2.41	**4.83**
	कुल (2022-23)	**8.51**	**8.51**	**17.02**	**5.32**	**5.24**	**10.56**
2023-24	अमृतसर मिल्क यूनियन	1.18	1.18	**2.35**	0.00	0.00	**0.00**
	बठिंडा मिल्क यूनियन	0.42	0.42	**0.85**	0.08	0.00	**0.08**
	दोआबा मिल्क यूनियन	0.77	0.77	**1.54**	0.68	0.00	**0.68**
	होशियारपुर मिल्क यूनियन	0.77	0.77	**1.53**	0.00	0.00	**0.00**
	लुधियाना मिल्क यूनियन	0.28	0.28	**0.55**	0.00	0.00	**0.00**
	पटियाला मिल्क यूनियन	0.27	0.27	**0.53**	0.16	0.00	**0.16**
	पंजाब मिल्क फेडरेशन (मिल्कफेड)	5.81	5.81	**11.62**	0.00	0.00	**0.00**
	कुल (2023-24)	**9.49**	**9.49**	**18.97**	**0.92**	**0.00**	**0.92**
	कुल योग	**35.70**	**35.67**	**71.37**	**16.31**	**15.30**	**31.61**

** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब राज्य में यूनियनों के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है।*

*****